भाग–।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या....................

7 परियोजना/स्कीम का स्थान — प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–8 के अन्तर्गत डी0 टी0 रोड से कुमारकोट मोटर मार्ग (4.60 किमी0) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (कुल वन भूमि 1.89 है0)

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र – उत्तराखण्ड राज्य

ii) जिला – उत्तरकाशी

iii) वन प्रभाग – उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन – आरक्षित वन भूमि 1.1375है0 व सिविल सोयम 0.7525 है० कुल 1.89 है0 वन भूमि प्रयोग की जायेगी ।

v) वन की कानूनी स्थिति – कुल 1.89 है0 आरक्षित/सिविल सोयम

i) हरियाली का घनत्व – 0.6

ii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि – श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए – चीड़ जाति (वैज्ञानिक नाम) पाइनस रोक्सवरथाई

iii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। – भूक्षरण के लिए संवेदनशीलता नहीं है।

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी – वन सीमा के अन्दर है।

v) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए) – नही

vi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। – नही

vii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ – नही

viii) रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या

8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए और न्यूनतम है। यदि नही, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। – प्रस्तावित 1.89 है0 वन भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

9– क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। – नहीं

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:–

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार। – संलग्न है।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। – संलग्न है।

iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। – संलग्न है।

iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। – संलग्न है।

v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। – संलग्न है।

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषत: उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) – संलग्न है।

12– प्रभाग/जिला प्रोफाइल – उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र। – 80,1600 है०

ii. जिला का वन क्षेत्र। – 695783.35 है०

iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। – 347 मामले तथा 1201.63376 है

iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण –

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि – रिक्त

(ख) वनेत्तर भूमि पर – 487.50 है0

अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर – रिक्त

(ख) वनेत्तर भूमि पर – 487.50 है0

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने– के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

कार्यदायी संस्था द्वारा वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु समुचित प्रयास किये जायेंगे अत: जनहित में संस्तुति की जाती है।

दिनांक 22-1-2015
स्थान उत्तरकाशी

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी